



मध्यप्रदेश सरकार

राजस्थान-सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

इसाप सं0 : 0141-2224878

क्रमांक: एफ04(200) / एमएनजेवाई / बजट / 2015-16 / ३९५ दिनांक: १५८१८

ई-मेल: rmsgc.mnj@gmail.com

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री नियुल्क जांच योजना अन्तर्गत वितीय वर्ष 2015-16 में हस्तांतरि बजट राशि का अप्रैल, मई, जून 2015 तक के व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत वितीय वर्ष 2015-16 में आपके कार्यालय के अधीन चिकित्सालयों के लिये विभिन्न मद्दों में राशि हस्तांतरि की गई है, का माह जून 2015 तक का माहवार व्यय विवरण एवं विवरणवार उपयोगिता प्रमाणपत्र की सूचना भिजवाने हेतु समय पर दूरभाष पर तथा गोबाइल मैसेज के द्वारा सूचित किया गया है परन्तु अभी तक आपके कार्यालय से वांछित सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

कार्यालय के पत्रांक 250 दिनांक 04.06.15 पत्रांक 331,332 दिनांक 08.07.15 के द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 में चिकित्सा संस्थानों में संचिदा/प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सूचना निर्धारित प्रपत्रों में चाही गई थी, जिसकी सूचना भी अधिकारा कार्यालयों से प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त निदेशालय को मुख्यमंत्री नियुल्क जांच योजना अन्तर्गत कार्मिकों के मानदेय भुगतान नहीं मिलने, कार्य से हटाये जाने आदि के प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय के सूचना तंत्र (CMIS) में तथा समय-समय पर पत्रांक 150 दिनांक 22.03.15 के द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 में द्वारा समय-समय पर निर्देशानुसार व पत्रांक 150 दिनांक 22.03.15 के द्वारा वितीय वर्ष 2015-16 में चिकित्सा संस्थानों में वांछित कार्मिकों के अनुबन्ध किये जाने/अवधि बढ़ाने/समय पर मानदेय भुगतान किये जाने/एजेन्सीयों द्वारा किये जा रहे मानदेय का आधिक शोषण रोके जाने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है।

इसके पश्चात भी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो कि अत्यन्त खेदजनक है।

अतः आपको उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में वितीय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के पत्रांक लेखा/बैठक/ 2015/1761/दि 0 13.07.15 के अनुसार निन्म प्रकार की सूचनाएं इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

1. वितीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत किये गये व्यय का-
- 12 ग्रांट इन एड मद में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
- 18 उपकरण एवं मशीनरी मदवार में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
- 01 संवेतन मद द्वारा हुये व्यय का चिकित्सा संस्थानवार तथा संकलित माह अप्रैल, मई, जून 2015 में हुये व्यय का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
3. वितीय वर्ष 2015-16 में संचिदा/प्लेसमेंट एजेन्सियों के माध्यम से रखे गये कार्यरत कार्मिकों की संख्यावार तथा संकलित सूचना प्रेषित करें।
2. वितीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत किये गये व्यय का
- 12 ग्रांट इन एड मद में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
- 18 उपकरण एवं मशीनरी मदवार में प्राप्त राशि-व्यय का- उपयोगिता प्रमाणपत्र।
- 01 संवेतन मद द्वारा हुये व्यय का चिकित्सा संस्थानवार तथा संकलित माह अप्रैल, मई, जून 2015 में हुये व्यय का विवरण उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करें।
3. वितीय वर्ष 2015-16 में संचिदा करावें, बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने की स्थिति में यदि वित विभाग द्वारा बजट का प्रत्याहरण (विछ्ठ) किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री नियुल्क जांच योजना अन्तर्गत उपकरण मद्दों में आंवटित बजट के अनुसार चिकित्सा संस्थानों के द्वारा इस बजट का उपयोग नहीं किया जा रहा है ना ही इसके व्यय की सूचना भिजवाई जा रही है।

इस हेतु भी आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में आंवटित बजट का पूर्ण उपयोग करें, तथा माहवार व्यय विवरण भिजवाये एवं उपकरणों के रख रखाव / संधारण के संबंध में की गई कार्यालयी से भी अवगत करावें। आंवटित बजट के पूर्ण उपयोग करनें व उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाने की सुनिश्चिता करावें, बजट का पूर्ण उपयोग नहीं होने की स्थिति में यदि वित विभाग द्वारा बजट का संतरण- उपरक्तानुसार

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान, जयपुर



राजस्थानी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

राजस्थान—सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी—स्कीम, जयपुर

दस्तावेज सं. 0141—2224878

ई—मेल: rmsc.mnjy@gmail.com

क्रमांक: एफ04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2015—16/ ३१५ दिनांक:

। २८।५

क्रमांक: एफ04(200)/एमएनजेवाई/बजट/2014—15/

दिनांक:

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी साचिव, प्रमुख शासन सचिव, विं एवं ख्या० विभाग, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, मुख्यमंत्री नियुक्तक जांच योजना, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार (मुख्यालय), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) को वित्तीय वर्ष 2015—16 में आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों को आवाटित बजट की सूचना प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन जिलों की चिकित्सा संस्थानों में उपरोक्त नुसार एवं नियमानुसार क्या किया जाना सुनिश्चित करावें तथा समय—समय पर संबंधित कार्यालयों की इस क्रम में समीक्षा करें एवं उद्दित कार्यालयी करते हुये तथ्यात्मक अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय को भिजवायें।
5. रहित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर